राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)

माधव विलास पैलेस,

आमेर रोड़, जयपुर-302002 (राजस्थान)

(नागेश्वर औषध निर्माणशाला)

<u>विस्तृत ई-निविदा सूचना, नियम एवं शर्तें</u>

1. संस्थान के नागेश्वर औषध निर्माणशाला के उपयोग हेतु (संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की जड़ी बूटियों / कच्ची औषधियों एवं खनिजों (आयुर्वेदिक) क्रय की जानी है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी । जमा धरोहर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

क्र.स.	नाम वस्तु	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2प्रतिशत
1.	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	Rs. 6,00,000/-	Rs. 12,000/-

2. निविदा का फॉर्म एवं निविदा की शर्तें ऑनलाईन (On-line) ई - निविदा (e-Tender) पर उपलब्ध होगी

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure / app)	26-09-2023 09:00 AM
2.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि एवं समय स्थान :- सेमीनार हॉल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	03-10-2023 03:00 PM
3.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एंव समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	16-10-2023 03:00 PM
4.	धरोहर राशि का डी.डी. तथा कच्ची औषधियों के सेम्पल संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	16-10--2023 03:00 PM
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	17-10--2023 03:00 PM

3. निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाइनेन्सियल बिड सी.पी.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी । डाउनलोड करके ऑन लाईन प्रस्तुत की गई निविदा की निर्धारित धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं सैम्पल, टर्नओवर, कार्य अनुभव, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, केन्द्रीय एवं

राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा धरोहर राशि का डी.डी. एवं सैम्पल दिनांक 16-10-2023 को सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने होगें।

4. सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने पृथक्-पृथक् से सील्ड पैकेट / कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य हैं। तथा पैकेट / कार्टून पर " Rate Contract for Supply of Raw drugs" लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची (संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य हैं । अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें।

5. जो निविदाकार ई-निविदा में भाग लेना चाहते हैं, वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर ऑन-लाईन इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि इन्टरनेट जाम की स्थिति से बचने के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय की प्रतीक्षा नहीं करें यथा सम्भव निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर देवें।

6. निविदा धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "Vice Chancellor, National Institute of Ayurveda" के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर संस्थान में जमा करानी होगी । धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होगें। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान कोई विचार नहीं करेगा ।

7. निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाताओं को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा। सफल निविदादाताओं को सुरक्षा धनराशि जमा करवाये जाने के पश्चात् धरोहर राशि लौटा दी जावेगी ।

8. सफल निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध (Contract) के कुल मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्योरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी ।

9. निविदा में स्वीकृत दर की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के दो माह एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर सिक्योरिटी राशि लौटाई जायेगी ।

10. संस्थान को निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने एवं शर्तो के अधीन आपूर्ति नही की जाती है तो निविदादाता की धरोहर / सिक्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा

11. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है :–
a) पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति,

b) GST रिर्टन पिछले 03 वितिय वर्ष
c) आयकर की रिर्टन पिछले 03 वितिय वर्ष का
d) निविदा का पिछले तीन वर्षो न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 3,00,000/- होना अनिवार्य है जो की CA द्वारा प्रमाणित होना चाहिए |
e) पिछले 3 वर्षों का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पी एस यू, सरकारी संस्था को कच्ची औषधियों की आपुर्ति का अनुभव, जिसके संलग्न में Purchase order लगाने होंगे।
उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
12. सफल निविदादाताओं को औषधियाँ माप तौल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी ।

13. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णयलिया जावेगा जो सभी फर्मो को मान्य होगा ।

14. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नही होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा । संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधी की न्यनूतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर देखा जाकर जिस फर्म का टर्नऑवर अधिक होगा उसी फर्म की न्यूनतम दर तय की जावेगी तथा उसे आपूर्ति का आदेश दिया जावेगा। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी ।

15. मेक इन इंडिया उत्पादों को क्रय प्राथमिकता - Class - I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, जैसा कि संबंधित नोडल मंत्रालय द्वारा विशिष्ट वस्तुओं / उत्पादों के लिए Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 के क्रम में समय-समय पर संशोधित आदेशों एवं इसके बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, को प्राथमिकता दी जायेगी । Class-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री 50% होनी चाहिए। जिसके लिए निविदा दाताओं को स्वघोषित प्रमाण पत्र (self decleration certificate) देना होगा।

16. MSME एवं Startups निविदादाता फर्मों को वैध दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर नियमानुसार MSME / Startups के प्रावधानों का का पालन किया जायेगा।

17. निविदा की Pre-Bid Meeting इच्छुक / संभावित निविदादाताओं के साथ संस्थान में दिनांक 03-10-2023 को 3:00 PM बजे रखी जायेगी। सभी इच्छुक / संभावित निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे Pre-Bid Meeting से पहले या उसके 24 घंटे के भीतर लिखित में अपने सुझाव या प्रतिवेदन, अगर कोई हो तो संस्थान की Email ID: nia.centralstore7@gmail.com या store-nia-rj@gov.inपर भेजें।

18. यदि किसी निविदा दाता को किसी कारणवश अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे अविलम्ब वापस संस्थान में जमा करना होगा तथा निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।

19. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य (Reject) कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा । अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी ।

20. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी औषधियों की पैकिंगजूट से बनी नई बोरियों में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियॉ भेजते समय प्रत्येक पैकिग नग (बोरी) पर सफेद रंग का टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें ।

21. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।

22. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया - बढ़ाया जा सकता है । अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नही होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नही होगा ।

23. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपति को होगा ।

24. निविदा में अंकित दरें प्रथम आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को प्रत्येक आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी । कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है।

25. औषधियों की आपूर्ति टुकडों में स्वीकार नहीं होगी निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढाने का अधिकार कुलपति महोदय,राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। फर्म द्वारा सप्लाई की अवधि बढाने हेतु अनुरोध निर्धारित आपूर्ति दिनांक से पूर्व करना होगा । विलम्ब से प्राप्त माल को पेनल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान कुलपति महोदय को होगा । विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-

(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत।

(ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में / कम आपूर्ति किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा तथा मूल्य के अन्तर राशि फर्म से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी ।

26. फर्म द्वारा बिल/इनवाईस तीन प्रतियों में एवं जीएसटी नियमानुसार E way Bill संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

27. एक वस्तु / औषध की Non supply or Late supply or Less supply पर प्रत्येक बार शास्ति लगेगी।

28. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

29. निविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार / भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति, राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते।

30. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म केन्द्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर कुलपति, द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

31. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नही किया जाता है तो कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत / सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

32. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड दिया जावेगा।

33. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता हैं तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व करना होगा।

34. निविदादाता निविदा भरते समय बीओक्यू में जीएसटी राशि कुल मात्रा की राशि के अनुसार बनने वाली जीएसटी राशि भरे, अगर किसी निविदादाता के द्वारा प्रति किलो की जीएसटी राशि भरी जाती है तो उसे पूर्ण जीएसटी राशि सहित ही माना जावेगा ।

35. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तचन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।

36. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैनें /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया हैं तथा समस्तशर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ / हैं ।

हस्ताक्षर

निविदादाता मय मोहर

(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण - स्वरूप)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)
माधव विलास पैलेस,
आमेर रोड़,जयपुर-302002 (राजस्थान)
(नागेश्वर औषध निर्माणशाला) ई-निविदा प्रपत्र

क्रमांक : दिनांक :

प्रेषक फर्म का नाम व पता :- ....
....

प्रेषिति :-

कुलपति महोदय
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
जयपुर

विषय : आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी / कच्ची औषधियों एंव खनिजोंकी आपूर्ति हेतु ऑनलाईन ई-निविदा ।
महोदय,
विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान रसायनशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों / कच्ची औषधियों एंव खनिजोंकी आपूर्ति हेतु अपनाई - निविदा प्रपत्र प्रेषित कर रहें है ।

ई-निविदाप्रपत्र को भरने से पूर्व निविदा की शर्तों को सर्व प्रथम भली प्रकार से पढ कर समझ लेने के पश्चात ही ई-निविदा प्रपत्र को भरें ।

1. निविदा के लिये आवश्यक धरोहर राशि जमा करवाने संबंधी विवरण निम्न प्रकार है
अ. डिमाण्ड डाफ्ट क्रमांक..........................दिनांक..........................राशि .... बैक का नाम.. .... कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम संलग्न है।
2. निविदा का फार्म एवं निविदा की शर्तें https://eprocure.gov.in/eprocure/app एवं www.nia.nic.in पर उपलब्ध होगी ।
3. धरोहर राशि कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बैक ड्राफ्ट में जमा करानी होगी । धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नही होगें । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नही किया जावेगा ।
4. निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाईनेन्सियल बिड सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी । निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डी.डी. एवं फर्म का टर्नओवर, कार्य अनुभव तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने सम्बन्धित दस्तावेज तथा सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने पृथक-पृथक से सील्ड पैकेट / कार्टून में संस्थान
में देना अनिवार्य हैं। तथा पैकेट / कार्टून पर “ Rate Contract for Supply of Raw drugs” लिखना

अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहरलगाना भी अनिवार्य हैं। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें।

5. निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाताओं को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500 /- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा। सफल निविदादाताओं को सुरक्षा धनराशि जमा करवाये जाने के पश्चात् धरोहर राशि लौटा दी जावेगी । प्रथम आपूर्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना होगा ।

6. सफल निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध (Contract) के कुल मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्योरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी ।

7. निविदा में स्वीकृत दर की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर सिक्योरिटी राशि लौटाई जायेगी।

8. निविदादाता द्वारा शर्तो के अधीन आपूर्ति नही की जाती है, तो उसकी जमा सिक्यूरिटी / धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा ।

9. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता की धरोहर / सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा । फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।

10. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है
(a)पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति,
(b) GST रिर्टन पिछले वित्तिय वर्ष
(c) आयकर की रिर्टन पिछले वित्तिय वर्ष का —
(d) निविदा का पिछले तीन वर्षो न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 3,00,000/- होना अनिवार्य है जो की CA द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।
(e) पिछले 3 वर्षों का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पी एस यू, सरकारी संस्था को कच्ची औषधियों की आपूर्ति का अनुभव, जिसके संलग्न में Purchase order लगाने होंगे ।
उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।

11. सफल निविदादाताओं को औषधियाँ माप, तोल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ. आर. संस्थान को देनी होगी ।

12. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के

अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा, जो सभी फर्मों को मान्य होगा ।

13. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नही होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधी की न्यनूतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर देखा जाकर जिस फर्म का टर्नऑवर अधिक होगा उसी फर्म की न्यूनतम दर तय की जावेगी तथा उसे आपूर्ति का आदेश दिया जावेगा। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी ।

14. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा । अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी |

15. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी औषधियों की पैकिंगजूट से बनी नई बोरियों में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर सफेद रंग का टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें ।

16. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी ।

17. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया - बढ़ाया जा सकता है । अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नही होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नही होगा ।

18. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपतिमहो० को होगा ।

19. औषधियों की आपूर्ति टुकडों में स्वीकार नहीं होगी निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढाने का अधिकार कुलपति महोदय, राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। फर्म द्वारा सप्लाई की अवधि बढाने हेतु अनुरोध निर्धारित आपूर्ति दिनांक से पूर्व करना होगा । विलम्ब से प्राप्त माल को पेनल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान कुलपति महोदय को होगा । विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-
(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत ।

(ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में / कम आपूर्ति किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा तथा मूल्य के अन्तर राशि फर्म से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी ।

20. निविदा में अंकित दरें प्रथम आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को प्रत्येक आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी । कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है ।

21. एक वस्तु/औषध की Non supply or Late supply or Less supply पर प्रत्येक बार शास्ती लगेगी ।

22. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

23. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार / भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध मे लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते ।

24. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नही किया जाता है तो कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत / सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

25. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर कुलपति महोदय द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

26. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड दिया जावेगा ।

27. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता हैं तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व होगा ।

28. निविदादाता निविदा भरते समय बीओक्यू में जीएसटी राशि कुल मात्रा की राशि के अनुसार बनने

वाली जीएसटी राशि भरे, अगर किसी निविदादाता के द्वारा प्रति किलो की जीएसटी राशि भरी जाती है तो उसे पूर्ण जीएसटी राशि सहित ही माना जावेगा ।

29. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तचन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पार्टियों द्वारा दिनांक को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

30. मैं / हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेगे।
स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म का नाम पता/ दूरभाष
(रबड़ की मोहर लगावें)

500/- के नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

अनुबन्ध–पत्र

1. यह करार आज दिनांक - .... जो कि अनुमोदित वितरक कहलायेगा तथा जहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग आवेगा इसमें उसका उत्तराधिकारी निष्पादन एवं प्रशासक भी शामिल होगा एवं दुसरी ओर से कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जिसका की अर्थ प्रसंग आने पर कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी से होगा, के बीच सम्पन्न किया गया।

2. चूँकि अनुमोदित वितरक कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर पर माल भेजने पर सहमत हो गया है। अतः इसके संलग्न अनुसूची में वस्तुएं डाल दी गई हैं तथा इसकी दरों का उल्लेख अनुसूची के कॉलम 4 में किया गया है।

3. चूँकि अनुमोदित वितरक ने रूपये - .... डी.डी/बैंकर चैक संख्या- ....दिनांक - .... जो अनुबन्ध के उचित परिपालन के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिये हैं ।

4. वे साक्षियाँ प्रस्तुत करते हैं कि :-

a. एतद् संलग्न अनुसूची में दी गई दरों पर कुलपति महो० राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये किये जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुये अनुमोदित वितरक निविदा एवं संविदा की शर्तों में व दिये गये तरीकों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 व 3 में वर्णित उक्त वस्तुओं की कॉलम संख्या 5 में दी गई अवधि में उचित सप्लाई करेगा ।

b. ई-निविदा विज्ञापन संख्या .... दिनांक .... के साथ तथा अनुबन्ध के साथ भी संलग्न निविदा एवं संविदा की शर्तों को इस अनुबन्ध के एक भाग के रूप में समझा जावेगा, जो इस अनुबन्ध को करने वाली पार्टी द्वारा मान्य होगा ।

c. निविदा दाता से प्राप्त पत्र, और संस्थान द्वारा जारी पत्र .... दिनांक .... जो इस अनुबन्ध के साथ संलग्न हैं इस अनुबन्ध पत्र के अंश होगें ।

d. संस्थान एतद् द्वारा इस बात पर सहमत होता है कि अनुमोदित वितरक उक्त तरीके से उपयुक्त माल की ठीक सप्लाई करेगा तथा उक्त शर्तो को ध्यान में रखेगा एवं उसका पालन करेगा तो संस्थान अनुमोदित वितरक को प्रत्येक प्रेषित माल की देय राशि का उक्त शर्तों में दिये समय पर एवं उसमें बताये गये ढंग से कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये भुगतान करेगा अथवा करायेगा ।

5. भुगतान ऑन लाईन पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से होगा ।

6. माल की सप्लाई शर्तों के अनुसार 30 दिन में करनी होगी ।

7. यदि निविदा दाता आपूर्ति आदेश में उल्लेखत समय में माल उपलब्ध करवाने में असफल रहता है अथवा क्रय अधिकारी द्वारा परिनिर्धारित शास्ति के साथ आपूर्ति अवधि में वृद्धि करने की दशा में निम्नलिखित दर से आदेश अनुरूप सप्लाई किये जाने वाले सामान में से जिस मात्रा में से सामान सप्लाई किये जाने में जिस अवधि की असफलता रही है, उसके माल की कीमत के आधार पर निम्नानुसार वसूली की जावेगी ।

(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत ।

(ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिन तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल

की कीमत का 10 प्रतिशत।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में / कम आपूर्ति किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा तथा मूल्य के अन्तर राशि फर्म से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी ।

टिप्पणी :-

1. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1 / 2 दिन से कम का है तो उसे छोड दिया जावेगा ।

2. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता हैं तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व होगा।

3. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तचन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पाटियों द्वारा दिनांक को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

अनुमोदित वितरक के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

दिनांक-

1. साक्षी संख्या

2. साक्षी संख्या

1. साक्षी संख्य

2. साक्षी संख्या

<u>अनुसूची</u>

क्र.सं.	नाम वस्तु / औषध	अनुमोदित दर प्रति किलो	मात्रा	आपूर्ति अवधि

परिशिष्ट-अ

रसायनशाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

सत्र 2023-24 के निविदा हेतु कच्ची औषधियों की सूची

क्र.सं- (Sr. No)	औषधि का नाम (Drug Name)	आवश्यक मात्रा (अनुमानित) (किलो ग्राम)
1	Honey (Agmark*)	359
2	Jatiptra,Jasminum officinale Linn,(Lf.)	42
3	Danti,Baliospermum montanum Muell –Arg.,(Rt.)	08
4	Louha,Iron	144
5	Apamargapanchanga,Achyranthes aspera Linn,(W.P.)	12
6	Arka,Calotropis procera(Ait)R.Br.,(Lf.)	1740
7	Abhraka ,Mica(biotite	01
8	Darbha,Imperata cylindrical Beauv.,(Rt.)	09
9	DhaturaPatra dry,Datura metel Linn,(Lf.)	239
10	Erandpatra dry,Recinus communis Linn,(Lf.)	232
11	Gajapippali,Scindapsus officinalis Schult., (Fr.)	0.51
12	Gandhabiroja,Pinus roxburghii sergeant,(Exd.)	03
13	Karanjapatra,Pongamia pinnata (Linn) Merr.,(Lf.)	42
14	Kasa,Saccharum spontaneum Linn,(Rt.)	09
15	Kaseru,Scirpus kysoor Roxb.,(Rt tbr)	0.51
16	LalaMirchaBeeja,Capsicum annum Linn,(Sd.)	51
17	Netrabala(Udichya),Povania odorata Willd.,(Rt.)	01
18	Parpataka,Fumaria parviflora Lam,(W.P.)	01
19	Sahacher(Saireyaka),Barleria prionitis Linn,(W.P.)	1090
20	Trayamana, Gentiana Kurroo Royle, (Rt.)	93